न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना
(पीठासीन अधिकारी श्री. दीपक मित्तल R.A.S.

मु०नं० 5/2021

सिरदार कौर आयु 75 वर्ष पत्नी स्व० उदयसिंह जाति - गूजर R/o महलोनी तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान

-- अपीलार्थी

बनाम

1- ग्राम पंचायत महलोनी जरिए सरपंच ग्राम पंचायत महलोनी

2- चन्द्रभान आयु 65 वर्ष पुत्र श्री फतेह सिंह जाति गूजर निवासी महलोनी तह० बयाना जिला भरतपुर राज०

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट
बयाना (भरतपुर)

-- रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 उप - राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामा० 450 निर्णय दिनांक 5-10-2011 ग्राम महलोनी द्वारा ग्राम पंचायत महलोनी

निर्णय दिनांक 24/11/25

उपस्थिति-
श्री नरेश कुमार गौड एड० अपीलार्थी
श्री वेद प्रकाश शर्मा एड० रेस्पोडेन्ट संख्या 02

अपीलार्थी द्वारा यह अपील विरुद्ध नामान्तरण सं० 450 निर्णय दिनांक 5-10-2011 ग्राम महलोनी ग्राम पंचायत के विरुद्ध पेश कर निवेदन किया कि

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

आ० ख० नं० 438/0.41 , 439/0.02 440/0.05 किता 3

कुल रकबा 0.48 हैक्टेयर ग्राम मलोनी तहसील बयाना का रेस्पोन्डेन्ट संख्या 02 चन्द्रभान 6/10 भाग का रिकार्डेड खातेदार था। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 02 चन्द्रभान ने अपने निहित 6/10 भाग का 5/6 भाग के खातेदारी हक हकूकों को अपीलार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 1/7/2011 को खरीद किया था उक्त विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 450 दर्ज किया। पटवारी हल्का ने कालम संख्या 9 में अपीलार्थी सिरदार कौर पत्नी उदय सिंह कौम सुनार साकिन देह खातेदार हिस्सा 1/2 बाकी हिस्सा 1/2 बहादुर खातेदार दिनांक 20/7/2011 को दर्ज कर दिया जिसे हल्का गिरदावर द्वारा पंजीकृत बयनामा अनुसार अंकन सही है का नोट लगा दिया एवं उसे ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 5/10/2011 को स्वीकृत कर दिया। जबकि अपीलार्थी हिस्सा 1/2 एवं रेस्पोन्डेन्ट 02 चन्द्रभान बाकी हिस्सा 1/10 किया जाना चाहिए था।

अपीलार्थी वृद्ध महिला है। राज काज से अनभिज्ञ है। अपी० को उक्त नामान्तरकरण की गलती की जानकारी दिनांक 22/3/2021 को जमाबन्दी की नकल पटवारी हल्का से लेने पर हुई। इससे पहले अपीलार्थी को इसकी जानकारी नहीं थी।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

नामान्तरकरण की अपील करने हेतु तैयारी की लेकिन
कोरोना महामारी लॉक डाउन से अपील अन्दर मियाद
पेश नहीं हो सकी। इस कारण इस अपील को
नामान्तरकरण की जानकारी एवं नकल दिनांक 22/9/2021 से
दिनांक 21/6/2024 तक विलम्ब कण्डोन किया जाकर अपील
अन्दर मियाद मानकर पर सुना जाना आवश्यक है।
अपील प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम
के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। इस प्रकार
के कथुत्तु इन्द्राज कायम रहने से अपीलार्थी के खातेदारी
हक पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहे हैं।
अन्त में अपील अपीलार्थी स्वीकार करने का निवेदन
किया।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बयाना

अपील प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट
को जरिये नोटिस तलब किया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 02
की ओर से श्री वेदप्रकाश शर्मा जरिये वकालतनामा दिनांक
20/9/2024 को न्यायालय हाजा उपस्थित आए।
रेस्पोन्डेन्ट दिनांक 13/01/2023 को स्वयं उपस्थित आए
अतः आदेशिका दिनांक 20/11/24 से रेस्पोन्डेन्ट 01 की
अनुपस्थिति दर्ज की गई। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 02 अपील
बाबत कोई एतराज पेश करना नहीं चाहते हैं।
हमने विद्वान अधिवक्तागणों को सुना। विद्वान
अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील प्रार्थना पत्र में
अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अपील
स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता
रेस्पोन्डेन्ट 02 का तर्क है कि ग्राम पंचायत महलोनी
द्वारा जो नामान्तरकरण 450 तस्दीक किया है वह

उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

सही है। अपील अभिभाषक स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषकों को सुनने के उपरान्त पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड ना०प्र० 450, जमाबन्दी 2065-68, जमाबन्दी सम्वत 2069-72, जमा० 2073-76, की प्रमाणित प्रति एवं विक्रय पत्र दिनांक 05/07/2011 जो उपपंजीयक बयाना द्वारा पंजीबद्ध है की छाया प्रति का अवलोकन किया। अपील अभिभाषक स्वीकार योग्य है।

आदेश :-

अतः अपील अभिभाषक स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण संख्या 450 निर्णय दिनांक 5/10/2011 ग्राम महलोनी निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बयाना को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 05/7/2011 के आधार पर उभय पक्ष को सुनकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार बयाना को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली कार्यवाही पूर्ण होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 28/11/24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)